राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु. – 3) विभाग

क्रमांक: एफ 6(27)प्र.सु./अनु. 3/2018/ 139732 जयपुर, दिनांक 03-08-2018

आदेश

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) के प्रशासनिक दिशा–निर्देशों के अनुसरण में समेकित बाल विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन और पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण (Coordination & Convergence) की दृष्टि से निम्न प्रकार से समितियों के गठन हेतु राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. राज्य अभिसरण समिति (State Convergence Committee)
2. जिला अभिसरण योजना समिति (District Convergence Planning Committee)
3. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति (Block Convergence Planning Committee)

उक्त समितियों की संरचना एवं भूमिका निम्न प्रकार होगी –

1. राज्य अभिसरण समिति (State Convergence Committee)

सर्वप्रथम राज्य स्तर पर अभिसरण कार्य योजना का निर्माण एक समिति द्वारा किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। राज्य अभिसरण समिति में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना है:–

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग	सदस्य
सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य
खाद्य एवं पोषण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) से पदेन राज्य प्रतिनिधि (Ex-Officio State Representative)	सदस्य
मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (MLTC) के पदेन प्रधानाचार्य (Ex-Officio Principal)	सदस्य
निदेशक/आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाए	सदस्य सचिव

राज्य अभिसरण समिति की भूमिका –

i. निम्न मामलों की समीक्षा :–
   a. विभिन्न जिलों से प्राप्त जिला योजनाओं में दी गई आवश्यकताओं को एकत्र करना एवं जाँचना।
   b. राज्य अभिसरण योजना में सम्मिलित करने से पूर्व मद वार आवश्यकताओं को पृथक् कर वित्तीय व्यवस्था करना।
   c. जाँच के आधार पर अंतिम आवश्यकताओं का निर्धारण कर राज्य अभिसरण योजना का निर्माण।
   d. कार्य योजना के आधार पर दोहराव से बचने के लिए प्रत्येक विभाग को भूमिका बाँटना।
   e. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में प्रस्तुत करने से पहले राज्य अभिसरण योजना को राज्य APIP में शामिल करने के लिए राज्य EPC द्वारा अनुमोदित कराने हेतु प्रस्तुत करना। जो घटक राज्य स्तर द्वारा वित्त पोषित हैं, उन्हें APIP में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने की आवश्यकता है।
   f. प्रत्येक विभाग द्वारा समय पर आवश्यक स्वीकृतियां जारी कराना।

g. अभिसरण योजना के लिए फण्ड जारी करने हेतु सीधे जिला कलेक्टर को दिशा–निर्देश जारी करना।

h. राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, कवरेज तथा उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान, मूल्यांकन एवं निवारण।

i. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर की स्थिति – वजन, लम्बाई लेना एवं Under Weight, Stunted एवं Wasted बच्चों की जिलेवार समीक्षा; इस पर उठाए गए कदमों तथा प्रगति की अर्द्धवार्षिक समीक्षा।

j. राष्ट्रीय पोषण मिशन में कमजोर प्रदर्शन वाले जिले तथा उसके लिए जिम्मेदार कारक की पहचान एवं उनका निवारण।

ii. लाइन विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

a. स्वास्थ्य/एनआरएचएमः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जाँच तथा स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएं तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति (विटामिन ए, आईएफए, कृमि नाशक गोलियाँ)। मातृ शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस की गतिविधियाँ, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता समिति तथा आईवायसीएफ को प्रोत्साहन।

b. जल तथा स्वच्छताः स्वच्छ भारत अभियान तथा राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना।

c. शिक्षाः प्राथमिक विद्यालयों के साथ आँगनबाड़ी केन्द्र की सह स्थिति, शालापूर्व शिक्षा में केन्द्रों का एकीकरण।

d. पंचायतीराज संस्थानः पंचायतीराज संस्थानों तथा समुदाय की निगरानी में भागीदारी तथा केन्द्रों पर सेवा प्रदान करने में समन्वय।

iii. कार्यक्रम लागू करने हेतु अन्य मुद्दे तथा उन पर उठाए गए कदम निम्न संदर्भ में –

a. केन्द्रों का नियमित संचालन

b. कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर पद रिक्तता एवं प्रशिक्षण की स्थिति।

c. फण्ड उपलब्धता।

d. अन्य कोई मुद्दा जो पोषण अभियान को लागू करने हेतु महत्वपूर्ण हो।

iv. समेकित बाल विकास सेवाओं/ राष्ट्रीय पोषण मिशन/स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर आईईसी द्वारा जागरूकता निर्माण तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की आइईसी गतिविधियों के साथ अभिसरण की सम्भावना।

2. जिला अभिसरण योजना समिति

जिला कलेक्टर	**अध्यक्ष**
जिला प्रमुख (जिला परिषद्)	सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद्)	सदस्य
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद्)	सदस्य
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)	सदस्य
मुख्य आयोजना अधिकारी (CPO)	सदस्य
सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा)	सदस्य
जिला रसद अधिकारी (DSO), खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
जिलों के समस्त उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य
खाद्य एवं पोषण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रतिनिधि (यदि जिले में हों)	सदस्य
आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (AWTC) के पदेन प्रधानाचार्य (Ex-Officio Principal)	सदस्य
उप–निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य सचिव

i. **जिला अभिसरण योजना समिति की भूमिका –**

राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु जिला अभिसरण योजना समिति ब्लॉक/परियोजनावार कार्य{मों की प्रगति की निगरानी व समीक्षा करेगी तथा निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में सुझाव देगी व सुधारात्मक उपाय करेगी।

a. ग्राम/आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर आवश्यक कार्यो के लिए ब्लॉक अभिसरण योजना द्वारा बनाए गए आवश्यकता मूल्यांकन की जाँच करना।
b. जिला स्तर पर कार्यों की आवश्यकताओं को संकलित करना।
c. जिला स्तर पर प्रत्येक सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर स्वयं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना बनाई जाएगी।
d. सामुदायिक भागीदारी आदि को सम्मिलित करते हुए पंचायतीराज सदस्यों से इनपुट लेना।
e. समाहित किए गए जिला अभिसरण योजना को अनुमोदन एवं वित्तीय प्रावधानों के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को भेजना।
f. जहाँ कहीं आवश्यक हो जिला अभिसरण योजना समिति द्वारा अनुमानित आवश्यकता का आँकलन करने के लिए भौतिक निरीक्षण करना।
g. क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समग्र प्रगतिः सभी स्वीकृत परियोजनाओं/आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति।
h. लाभार्थियों का कवरेज आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शालापूर्व शिक्षा तथा पूरक पोषाहार के पंजीकृत और वास्तविक लाभार्थियों का परियोजनावार सर्वे का जनसंख्या के विरूद्ध विश्लेषण करना।
i. आँगनबाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार की गुणवत्ता और आपूर्ति की नियमितताः घर के लिए दिए जाने वाले पोषाहार का प्रावधान और एक माह में निश्चित दिनों के लिए दिए जाने वाला गर्म खाना, सुबह का नाश्ता तथा खाद्य कुशलता की परियोजनावार तुलना।
j. 0–3 तथा 3–6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर की स्थितिः वजन, लम्बाई लेना एवं Under Weight, Stunted एवं Wasted बच्चों की परियोजनावार समीक्षा; इस पर उठाए गए कदमों तथा प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा।
k. राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) में कमजोर प्रदर्शन वाले ब्लॉक/परियोजना तथा उसके लिए जिम्मेदार कारक।

ii. **लाइन विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण**

a. स्वास्थ्य/एनआरएचएमः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जाँच तथा स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएं तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति (विटामिन ए, आईएफए, कृमि नाशक गोलियाँ)। मातृ शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस की गतिविधियाँ, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता समिति तथा आईवायसीएफ को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का संयुक्त भ्रमण।
b. जल तथा स्वच्छताः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा।
c. शिक्षाः प्राथमिक विद्यालयों के साथ आँगनबाड़ी केन्द्र की सह स्थिति, शालापूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ एकीकरण।
d. पंचायतीराज संस्थानः पंचायतीराज संस्थानों तथा समुदाय की निगरानी में भागीदारी तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सेवा प्रदान करने में समन्वय।

iii. **कार्यक्रम लागू करने हेतु अन्य मुद्दे तथा उन पर उठाए गए कदम निम्न संदर्भ में –**

a. केन्द्रों का नियमित संचालन
b. कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर पद रिक्तता एवं प्रशिक्षण की स्थिति।
c. फण्ड उपलब्धता।
d. तय मानकों के अनुरूप विविध स्तरों के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा निगरानी तथा पर्यवेक्षण भ्रमण।
e. समेकित बाल विकास सेवाएं कर्मियोंका गैर समेकित बाल विकास सेवाए गतिविधियों में नियोजन तथा उनको ऐसे नियाजन से रोकने/मुक्त कराने की व्यवस्था करना।
f. राष्ट्रीय पोषण मिशन के क्रियावयन में कमजोर निष्पादन वाली परियोजनाओं को चिन्हित करना और इसके लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान।
g. अन्य कोई मामला जो पोषण अभियान के क्रियावयन में सुधार से सम्बन्धित है।

iv. वित्तीय मामलेः–कोष प्रवाह तथा मदवार आवंटन की स्थिति और प्रतिवेदन अवधि के दौरान व्यय और भारत सरकार द्वारा तय मापदण्डों की पालना।

v. शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्थाः– व्यक्ति, समुदाय, पंचायतीराज प्रतिनिधि आदि के द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर कार्यवाही।

vi. समेकित बाल विकास सेवाओं/ राष्ट्रीय पोषण मिशन/स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर आइईसी द्वारा जागरूकता निर्माण तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की आइईसी गतिविधियों के साथ अभिसरण की सम्भावना।

नोटः– बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोंतों का उपयोग किया जा सकता है–

a. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन
b. कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्राप्त आँकड़े
c. समिति सदस्यों द्वारा प्राप्त भ्रमण रिपोर्ट
d. जनता/मीडिया से प्राप्त सूचना

3. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति

उप खण्ड अधिकारी (SDM)	**अध्यक्ष**
ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)	उपाध्यक्ष
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO)	सदस्य
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEEO)	सदस्य
अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
पंचायत प्रसार अधिकारी (PO)	सदस्य
समाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
प्रधान, पंचायत समिति	सदस्य
महापौर/नगर पालिका अध्यक्ष (शहरी निकाय)	सदस्य
रोटेशन आधार पर पर्यवेक्षक (5), समेकित बाल विकास सेवाएं (सीडीपीओ द्वारा नामित की जाएंगी)	सदस्य
बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं	सदस्य सचिव

i. **ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की भूमिका –**

राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु ब्लॉक अभिसरण योजना समिति निम्न मुद्दों की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंषा करेगी।

a. ग्राम/आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर आवश्यक कार्यो का आवश्यकता आँकलन करना, जैसे – जल, स्वच्छता, खाद्य, स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रसव पूर्व/पश्चात् देखभाल, विटामिन–ए, आयरन फॉलिक एसिड, कृमि नाशक गोलियां, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति के कार्य आदि एवं स्रोतों की उपलब्धता।
b. ग्राम स्तर का आँकलन बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक के निरीक्षण में पंचायतीराज प्रतिनिधियों के सहयोग से आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी को अपने इनपुट देंगे।
c. ब्लॉक स्तर पर कार्यों की आवश्यकताओं का आँकलन एवं संकलन।
d. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकता के आधार पर स्वयं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपनी कार्य योजना बनाई जाएगी।
e. पंचायतीराज प्रतिनिधियों को आवश्यकताओं के आँकलन में सक्रिय रूप से शामिल करना।
f. ब्लॉक अभिसरण योजना को जिला अभिसरण योजना में समाहित करने एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन के लिए जिला अधिकारियों को देना।
g. गर्भवती, धात्री महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य तथा पोषण मुद्दों पर गृह सम्पर्क।
h. ग्राम स्वास्थ्य, पोषण व स्वच्छता दिवस में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी।

i. 0–3 तथा 3–6 वर्ष के बच्चों में पोषण स्तर की स्थितिः वजन, लम्बाई लेना एवं Under Weight, Stunted एवं Wasted बच्चों की सैक्टरवार समीक्षा; इस पर उठाए गए कदमों तथा प्रगति की मासिक समीक्षा।

j. राष्ट्रीय पोषण मिशन में कमजोर प्रदर्शन वाले सैक्टर तथा उसके लिए जिम्मेदार कारक।

ii. लाइन विभागों/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

a. स्वास्थ्य/एनआरएचएमः आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्ण टीकाकरण की स्थिति, प्रसव पूर्व जाँच तथा स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान, केन्द्र पर रैफरल सेवाएं तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति (विटामिन ए, आईएफए, कृमि नाशक गोलियाँ)। मातृ शिशु स्वास्थ्य व पोषण दिवस की गतिविधियँा, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता समिति तथा आईवायसीएफ को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास सेवाएं कार्मिकों का संयुक्त भ्रमण।

b. जल तथा स्वस्छताः केन्द्रों पर पेयजल की उपलब्धता तथा शौचालय सुविधा।

c. शिक्षाः प्राथमिक विद्यालयों के साथ आँगनबाड़ी केन्द्र की सह स्थिति, शालापूर्व शिक्षा में केन्द्रों का एकीकरण।

d. पंचायतीराज संस्थानः किसी भी जमीनी स्तर के कार्यक्रम के लिए समुदाय एवं पंचायतीराज संस्थानों का शामिल होना आवश्यक है। अभिसरण कार्य योजना बनाने के लिए पंचायतीराज संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पंचायतीराज संस्थान ना कि सिर्फ अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें बल्कि वे सरकारी कार्यक्रमों एवं उनके लाभ के प्रति जागरूक भी हों।

जिन स्थानों पर पंचायतीराज संस्थान सक्रिय नहीं हैं, वहाँ अभिसरण कार्य योजना में उनकी क्षमता वृद्धि के लिए योजना सम्मिलित की जानी है। इनका प्रशिक्षण राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।

नोटः– बैठक में निम्न सूचनाओं/स्त्रोंतों का उपयोग किया जा सकता है–

a. ब्लॉक अभिसरण योजना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण व प्रतिवेदन।

b. कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्राप्त आँकड़े।

c. समिति सदस्यों द्वारा प्राप्त भ्रमण रिपोर्ट।

d. जनता/मीडिया से प्राप्त सूचना, इत्यादि।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग "निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग" होगा।

आज्ञा से

1/8/18

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 6(27)प्र.सु./अनु. 3/2018/ 139723-140505 जयपुर, दिनांक 3/8/18

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव,मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।

9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. निजी सचिव, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सचिव, खाद्य एवं पोषण बोर्ड के प्रतिनिधि।
18. निजी सचिव, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) से राज्य प्रतिनिधि।
19. निजी सचिव, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (MLTC) के प्रधानाचार्य।
20. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
21. अध्यक्ष, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।
22. समस्त अधिकारीगण, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।
23. समस्त जिला कलेक्टर।
24. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
25. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
26. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
27. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
28. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
29. उप निदेशक (ए.सी.पी.) मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
30. रक्षित पत्रावली। Ref. No. F.(30)NNM/ICDS/Committ/2018.

01/8/18

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी